प्रोबेशनर्स को अबकाश

LEAVE TO PROBATIONERS & APPRENTICE

Egurukulrajasthan

LEAVE TO PROBATIONERS & APPRENTICE :

- परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को परीवीक्षा की अवधि के दौरान कोई अवकाश अर्जित नहीं होगा।
- महिला परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को नियम 103 व 104 के अनुसार प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
- पुरूष परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को नियम 103क के अनुसार पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

नियम 122(A)(i),(ii),(iii)&(iv)

LEAVE TO PROBATIONERS & APPRENTICE :

- एक शिक्षार्थी को अवकाश, चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर या असाधारण अवकाश उन्हीं शर्तों पर स्वीकृत किया जा सकेगा जो एक अस्थाई सेवा में नियुक्त किये गये राज्य कर्मचारी पर लागू होती है।

नियम 123

बच्चा गोद लेने पर अवकाश

CHILD ADOPTION LEAVE

CHILD ADOPTION LEAVE:

- यह अवकाश दिनांक 7 दिसम्बर 2011 से देय किया गया है। वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ.1(42)वित्त/ग्रुप-2/83 दिनांक 7 दिसम्बर 2011 द्वारा नियम 103(B) के रूप में प्रतिस्थापित
- 2 से कम जीवित संतान होने पर एक महिला राज्य कर्मचारी को 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की विधिमान्य दत्तककरण करने की दिनांक से 180 दिन की अवधि का बच्चा दत्तककरण अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।
- यह अवकाश, अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।

नियम 103 (B)(1)

CHILD ADOPTION LEAVE:

- इस अवकाश की अवधि के दौरान उसको अवकाश पर जाने के ठीक पूर्व आहरित वेतन के बराबर अवकाश वेतन का भुगतान किया जायेगा।
- इस अवकाश को किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है।
- इस अवकाश को अवकाश लेखें में से घटाया नहीं जायेगा, अपितु सेवा पुस्तिका में ऐसी पृथक प्रविष्टि की जानी चाहिये।

नियम 103(B)(2),(3)&(4)

CASUAL LEAVE

CASUAL LEAVE

- यह किसी एक बार में 10 दिन तक सीमित रहेगा।
- इस अवकाश को किसी अवधि के शीघ्र पूर्वगामी या पश्चातगामी या मध्य में रविवार, राजकीय अवकाश या साप्ताहिक अवकाश आवें तो उसे आकस्मिक अवकाश का अंश नहीं माना जाता।
- राज्य कर्मचारियों को अपना मुख्यालय या जिला बिना पूर्वानुमति के नहीं छोड़ना चाहिये।

CASUAL LEAVE

- राजस्थान सेवा नियम 1951 खण्ड II के परिशिष्ट I के अनुभाग–III आकस्मिक अवकाश में दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार किसी राज्य कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश का उपभोग करने से पूर्व अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के अलावा ऐसे अवकाश की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।
- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.1(4)वित्त/नियम/2008 दिनांक 17 फरवरी 2012 के अनुसार यदि राज्य कर्मचारी आकस्मिक अवकाश लेकर निजी विदेश यात्रा करना चाहे तो ऐसे आकस्मिक अवकाश का आवेदन पत्र कम से कम 3 सप्ताह पूर्व सक्षम अधिकारी को देना होगा।

CASUAL LEAVE

- राज्य कर्मचारियों को अपना मुख्यालय या जिला बिना पूर्व अनुमति के नहीं छोड़ना चाहिये। आकस्मिक अवकाश के आवेदन पत्रों मे अपने अवकाश कालीन समय में रहने का पता अंकित किया जाना चाहिये।
- राजपत्रित अवकाश में भी मुख्यालय छोड़ने पर अपना पता आवेदन पत्र में अंकित करना आवश्यक है।
- किसी भी राज्य कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश की यथार्थ मामलों में जैसे बीमारी, अस्पताल और अन्त्येष्टी में उपस्थिति हेतु अवकाश चाहने पर पूर्व स्वीकृति नहीं कराने पर भी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

CASUAL LEAVE

- राज्य कर्मचारियों को आधा दिन का आकस्मिक अवकाश की दिया जा सकता है। अपरान्ह पूर्व सत्र के लिये यह समय 2.00 बजे तक मान्य होगा। अपरान्ह के बाद आकस्मिक अवकाश का समय 1.30 बजे प्रारम्भ होगा। एवं प्रातःकालीन कार्य दिवस में विभाजन का समय प्रातः 10.00 बजे का मान्य किया जायेगा।
- अंशकालीन कर्मचारियों को भी पूर्णकालिक कर्मचारियों की भाँति आकस्मिक अवकाश देय है।

CASUAL LEAVE

- राज्य कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश इस प्रकार नहीं दिया जाना चाहिये कि निम्न विषयक नियमों से बचा जा सके:–
  - वेतन एवं भत्तो की संगणना की तारीख
  - कार्यालय का प्रभार
  - अवकाश का प्रारम्भ एवं अन्त
  - अवकाश से पुनः कार्य को लौटना

  या अवकाश की अवधि इतनी बढा देना कि नियमानुसार उसे स्वीकृत नहीं किया जा सके।

CASUAL LEAVE

- विश्रामकालीन विभागों जैसे राजकीय महाविद्यालय (जिसमें पशु चिकित्सा एवं मेडिकल सम्मिलित है) विद्यालयों, स्थलों,व शिल्प (पोलिटेक्निक) एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं के मामले में वर्ष 1 जुलाई से प्रारम्भ और 30 जून का समाप्त माना जायेगा।
- विद्यालयों में आकस्मिक अवकाश की गणना 1 जुलाई से 30 जून तक होगी।
- वेकेशन के क्रम में आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

CASUAL LEAVE

- सेवा में नये प्रवेश पाने वाले कर्मचारियों को निम्नानुसार आकस्मिक अवकाश देय है–

1-	3 माह या कम की सेवा होने पर	5 दिन
2-	3 माह से अधिक परन्तु 6 माह के कम की सेवा होने पर	10 दिन
3-	6 माह से अधिक की सेवा होने पर	15 दिन

FD Order No. F.5(1)FD(R)/56 dated 11.1.1956

CASUAL LEAVE

- सेवानिवृत्त होने वाले वर्ष में 1 जनवरी 2002 से निम्न प्रकार से आकस्मिक अवकाश देय है–

1-	सेवानिवृत्त वर्ष में 3 माह या कम की सेवा होने पर	5 दिन
2-	सेवानिवृत्त वर्ष में 3 माह से अधिक परन्तु 6 माह के कम होने पर	10 दिन
3-	सेवानिवृत्त वर्ष में 6 माह से अधिक की सेवा होने पर	15 दिन

CASH PAYMENT IN LIEU OF

- समर्पित उपार्जित अवकाश के एवज में नकद भुगतान की गणना रनिंग वेतन बैण्ड में वेतन तथा ग्रेड पे व मँहगाई भत्ते के योग पर 30 दिन के माह के आधार पर गणना की जावेगी। समर्पित अवकाश के नकद भुगतान में से जी.पी.एफ. की कटौती नहीं की जावेगी।

Surrender of Pay=Pay in Pay Band+Grade Pay+DA

- समर्पित अवकाश के प्रार्थना पत्र की दिनांक को कर्मचारी के खाते में अवकाश डेबिट होंगे।

CASH PAYMENT IN LIEU OF

- राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 50 व 53 के अनुसार superannuation, invalid compensation pension or retirement pension प्राप्त करने पर उस दिन उसके उपार्जित अवकाश के लेखों में अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों के एवज में (अधिकतम 300 दिन) नकद भुगतान की गणना निम्नानुसार की जायेगी:–

Cash Payment=	Pay admissible on the date of retirement+ DA on that day	Number of unutilized P.L. at credit on the date of retirement subject to a maximum of 300 days
	30	

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 14(6) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति दिये जाने पर देय नहीं

VACATION DEPARTMENT:

- यदि कलेण्डर वर्ष में कर्मचारी ने विश्रामकाल का उपयोग नहीं किया है तो 15 दिन का उपार्जित अवकाश उसके खाते में जोड़ दिया जावेगा।

नियम 91ख

- ग्रीष्मकालीन अवकाश व शीतकालीन अवकाश कम करने पर 3 दिन की एवज में 1 दिन का उपार्जित अवकाश देय है।

CASH PAYMENT IN LIEU OF

- एक राज्य कर्मचारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधितकतम 15 दिन का उपार्जित अवकाश समर्पित कर उनके एवज में नकद भुगतान प्राप्त कर सकता है। नियम 91ए

- वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.1(12)वित्त(नियम)/2005 दिनांक 6–2–2009 द्वारा राज्य कर्मचारियों को 2009–2010 में तथा आगे भी एक वर्ष में 15 दिन के उपार्जित अवकाश के समर्पण के एवज में नकद भुगतान की सुविधा प्रदान की गयी है।

VACATION DEPARTMENT:

- विश्रामकालीन विभाग में कार्यरत राज्य कर्मचारियों को किसी ऐसे कलेण्डर वर्ष में की गयी कर्त्तव्य अवधि के एवज में कोई उपार्जित अवकाश निम्नलिखित वर्णित शर्तों/सीमा को छोड़कर देय नहीं होगा–
  - विद्यालयों/पॉलिटेक्निक संस्थानों, कला/विज्ञान महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य कराने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को एक कलैण्डर वर्ष में 15 उपार्जित अवकाश देय होंगें। नियम 92(ii)
  - किसी कलेण्डर वर्ष में नियुक्ति, सेवानिवृत्ति/मृत्यु होने पर प्रत्येक माह के लिये 1¼ दिन की दर से उपार्जित अवकाश देय होगा। नियम 92(iii)(1)

VACATION DEPARTMENT:

- उक्त प्रावधानों के कारण उपलब्ध उपार्जित अवकाशों को समर्पित कर नियम 91ए के अनुसार नकद भुगतान दिया जावेगा। वर्ष में उपार्जित अवकाश का उपभोग नही करने पर आगामी वर्ष में जमा किया जावेगा।
- विश्रामकालीन विभाग का अध्यापन कार्यरत एक कर्मचारी यदि किसी कलेण्डर वर्ष में विश्रामकालों का उपभोग नहीं कर सके तो उसे ऐसे अनुपयोजित विश्रामकालों के एवज में 15 के अनुपात में उपार्जित अवकाश देय होगें।

ADMISSIBILITY:

- एक राज्य कर्मचारी को एक समय में अधिकतम 120 दिन तक की पी.एल. स्वीकृत की जा सकती है।
- यदि ऐसा अवकाश उसे किसी मान्यताप्राप्त सेनिटोरियम अस्पताल में टी.बी./कैंसर या मानसिक रोग के निदान/चिकित्सा के लिये आवश्यक हो तो एक समय में 300 दिन तक स्वीकृत किया जा सकता है।

नियम 59 एवं 91(3)

MONTHLY CALCULATION:

- मासिक आधार पर राज्य कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश के खाते में उपार्जित अवकाश जमा करने की दर निम्नानुसार है:–
  - कर्मचारी जो कलैण्डर वर्ष में 30 दिन के उपार्जित अवकाश के लिये अधिकृत है 2½ दिन
  - आर.ए.सी. के कार्मिक 3½ दिन
  - न्यायालयों के स्टाफ 1 दिन

CASUAL LEAVE

SPECIAL CASUAL LEAVE

- राज्य सरकार ने कतिपय मामलों में राज्य कर्मचारियों को विशिष्ट आकस्मिक अवकाश, निरोधावकाश, अवकाश के बदले में क्षतिपूर्ति अवकाश व डे–ऑफ की स्वीकृति प्रदान की है।
- राजस्थान शिक्षा सेवा के सदस्य, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक, राजस्थान शिक्षा सेवा संघ, राजस्थान शिक्षक संघ, रूवटा आदि के वार्षिक सम्मेलन भाग लेने पर प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 4 दिन का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश दिनांक 1 अप्रैल 1983 से देय है। यह 30 नवम्बर के बाद देय नहीं है।

SPECIAL CASUAL LEAVE

- चिकित्सा विभाग, खान एवं भूविज्ञान विभाग के शिक्षा संबंधी कार्य करने वाले कर्मचारियों को एक सत्र में 15 दिन बाहर तथा 6 दिन तक का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश देय है।
- बन्ध्याकरण ऑपरेशन के लिये पुरूष राज्य कर्मचारियों को 6 दिन व महिला राज्य कर्मचारियों को 14 दिन तक का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश देय है।
- उस पुरूष राज्य कर्मचारी को जिसकी पत्नि बन्ध्याकरण की शल्य चिकित्सा कराती है तो उसे अपनी पत्नि की देखभाल के लिये 7 दिन तक का विशिष्ट आकस्मिक

SPECIAL CASUAL LEAVE

- ट्यूबक्टोमी शल्य चिकित्सा बिगड़ने पर, दुबारा शल्य चिकित्सा कराने पर उस पुरूष राज्य कर्मचारी को 14 दिन तक का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश देय है।
- पुर्ननालीकरण कराने पर 21 दिन तक का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश देय है।
- महिला कर्मचारी को लूप लगवाने पर 1 दिन तक का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश देय है।
- राज्य कर्मचारी को राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय खेल–कूदों के अवसरों पर भाग लेने के लिये 30 दिन तक का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश देय है।

SPECIAL CASUAL LEAVE

- प्रादेशिक/स्थानीय स्तर की खेल–कूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये एक कलेण्डर वर्ष में 10 दिन तक का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश देय है।
- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.1(49)एफडी/(जी. आर.2)/82 दिनांक 1–9–1990 के अनुसार ऐच्छिक अवकाश व आकस्मिक अवकाश एक साथ स्वीकृत किये जा सकते हैं।
- यह अवकाश आदेश दिनांक 1–4–1983 यथा संशोधित दिनांक 29–8–1998 द्वारा तकनीकी शिक्षा सामेत शिक्षा विभाग के परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों को भी वर्ष 2011–2012 से देय है।

- किसी राज्य कर्मचारी के परिवार या घर में किसी छूत का रोग (हैजा, चेचक, प्लेग, डिप्टिथिरिया, टाइफस बुखार, सेरीब्रोसपाइनल,मेनेनजाटिस, स्वाइन फलू) लग जाने के फलस्वरूप कार्यालय में नहीं आने के आदेश द्वारा अपेक्षित कार्य से अनुपस्थित रहने की अनुमति होती है। ऐसा अवकाश कार्यालयाध्यक्ष द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 21 दिन की अवधि या विशेष परिस्थिति में 30 दिन से अधिक नहीं होगा।
- स्वाइन फलू के लिये अधिकतम 7 दिन का निरोधावकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

COMPENSATORY CASUAL LEAVE

- रविवारों/अन्य राजपत्रित अवकाशों में मंत्रालयिक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अनिवार्यतः जितने दिन तक कार्यालय में उपस्थित होने के लिये राजपत्रित अधिकारी द्वारा लिखित में आदेश जारी कर बुलाया जावे उतने दिनों के लिये उन्हें क्षतिपूर्ति अवकाश देय होगा।
- यह लाभ अधिकरियों के निजी स्टाफ यथा स्टेनो, निजी सहायक, रीडर आदि को देय नही है।
- संग्रहालयों में कार्यरत कर्मचारियों को भी राजपत्रित अवकाशों के दिनों में संग्रहालय खुले रहने की स्थिति में क्षतिपूर्ति अवकाश देय है।

CASUAL LEAVE

- पुलिस के सिपाही, हैड कान्स्टेबल, सहायक उप निरीक्षक, तथा उप निरीक्षकों को वर्ष में 25 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। यह एक बार में अधिकतम 10 दिन का ही अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
- गढ़वाली, नेपाली, तथा गोरखे जो आर.ए.सी इकाईयों में भारत–पाक सीमा पर पदस्थापित है को 5 दिन का विशेष रियायती आकस्मिक अवकाश देय होगा किन्तु एक समय में अनुपस्थिति का समय 15 दिन से अधिक नहीं होगा।

CASUAL LEAVE

- आर.ए.सी के जवानों को आकस्मिक अवकाश उपार्जित अवकाशों से पूर्व जोड़ने की अनुमति इस आधार पर दी जा सकती है कि किसी एक समय में आकस्मिक अवकाश 15 दिन से अधिक नहीं होगा।
- फायर सेवा के अधिकारियों को 25 दिन का आकस्मिक अवकाश देय है।
- समेकित वेतन पर नियुक्त आयुर्वेद नर्स एवं कम्पाउण्डर को 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय है।
- परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को एक कलेण्डर वर्ष में 12 दिन के आकस्मिक अवकाश देय है।

अध्ययन अबकाश

STUDY LEAVE

राजस्थान सेवा नियम, 1951, अध्याय 11 खण्ड 6 नियम 110

STUDY LEAVE: Admissibility

- अध्ययन अवकाश ऐसे स्थायी सेवा के कर्मचारी को किसी ऐसे पाठ्यक्रम या किसी विशिष्ट या तकनीकी प्रकृति के अध्ययन/पाठ्यक्रम के लिये स्वीकृत किया जा सकता है, यदि सक्षम अधिकारी की सम्मति में ऐसा अध्ययन/पाठ्यक्रम उस विभाग के कार्य सम्पादन के लिये जनहित में आवश्यक हो।
- सामान्यतः अध्ययन अवकाश उस कर्मचारी को स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये जिसने 20 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूर्ण कर ली हो।

नियम 110(1)

STUDY LEAVE: Admissibility

- यह एक बार में 12 माह से अधिक स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा सम्पूर्ण सेवा काल में 24 माह के लिये स्वीकृत किया जा सकता है जिसे राज्य कर्मचारी एक अवसर या या एक से अधिक अवसरों पर उपयोग कर सकता हैं।
- चिकित्सा अधिकारियों को पी.जी. करने के लिये 3 वर्ष का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता हैं।
- इस अवकाश का उपयोग अन्य प्रकार के अवकाश, (असाधारण अवकाश को छोड़कर) के साथ किया जावे तो राज्य कर्मचारी की नियमित कर्तव्यों से अनुपस्थिति 28 माह से अधिक की स्वीकृत नहीं की जायेगी। नियम 112(ii)

STUDY LEAVE:

- इस अवकाश की अवधि में एक राज्य कर्मचारी को अर्द्ध वेतन के समान अवकाश वेतन देय है।
- अध्ययन अवकाश पदोन्नति या पेंशन के लिये सेवा अवधि के रूप में समझा जायेगा।
- इसका प्रभाव कर्मचारी के नामे अवशेष किसी भी अवकाश पर नहीं पड़ेगा। नियम 121
- यह अर्द्ध वेतन पर अतिरिक्त अवकाश होता है तथा ऐसे अवकाश काल में कर्मचारी को अवकाश वेतन का भुगतान राजस्थान सेवा नियम 97(2) के अनुसार देय है।

STUDY LEAVE: Admissibility

- अध्ययन अवकाश ऐसे अस्थायी सेवा के कर्मचारी को भी निम्न शर्तों पर स्वीकृत किया जा सकता है:-
  - उसकी नियुक्ति नियमित आधार पर हुई हो
  - उसने 3 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण की ली हो
  - उसकी प्रारम्भिक नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग की अनुशंसा से की गयी हो
  - नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 में दिये गये परन्तुक के तहत बनाये गये सेवा नियम/उप नियम के अनुसार नियुक्ति की हो।
  - जहां ऐसे नियम नहीं बने हो वहां नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी ने यह नियुक्ति शैक्षणिक अर्हता, अनुभव आदि विहित करने के सक्षम आदेशों के अनुसार की हो। नियम 110(2)

STUDY LEAVE: Admissibility

- ऐसे अस्थायी सेवा के कर्मचारी ने यदि:-
  - 3 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण की ली हो
  - लेकिन नियम 110(2) के प्रावधान पूर्ण नहीं करता हो,

उसे जनहित में प्रमाणित उच्च अध्ययन के प्रयोजनार्थ 2 वर्ष का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियम 96(ख) के प्रावधानों के शिथिलीकरण में स्वीकृत किया जा सकता है।

नियम 110(3)

STUDY LEAVE:

- कर्मचारी को अध्ययन का पाठ्यक्रम शुल्क आदि स्वयं को जमा कराना होगा या वहन करना होगा।
- केवल अपवाद स्वरूप मामलों में ही राज्य सरकार इस प्रकार का प्रस्ताव स्वीकार करने को सहमत होगी कि अमुक शुल्क सरकार द्वारा दिया जाना चाहिये। नियम 119
- कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त किसी भी ऐसी स्कॉलरशिप (छात्रवृत्ति)/स्टाइपेण्ड प्राप्त करने तथा उसे अपने पास रखने की स्वीकृति दी जा सकती हैं। नियम 119 below Government of Rajasthan's decision

STUDY LEAVE:

- कर्मचारी को अध्ययन के उपरान्त किसी अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूरा करने पर एक प्रमाण पत्र सरकार को प्रस्तुत करना होगा। नियम 120
- कर्मचारी को एक बन्धक पत्र खण्ड 2 के परिशिष्ट 18 के अनुसार भर कर निम्नानुसार देना होगा:-

अध्ययन अवकाश की अवधि	बंधक पत्र की अवधि
3 माह	1 वर्ष
6 माह	2 वर्ष
1 वर्ष	2 वर्ष
2 वर्ष से अधिक	5 वर्ष

मातृत्व – पितृत्व अवकाश

MATERNITY LEAVE:

- यह अवकाश दिनांक 6 दिसम्बर 2004 से देय किया गया है।
- एक महिला सरकारी कर्मचारी को सम्पूर्ण सेवा अवधि में 2 बार तथा जीवित बच्चा न हो तो तीसरी बार प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। नियम 103
- यह अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर प्रारम्भ होने की तारीख से 180 दिन की अवधि तक पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जावेगा। (दिनांक 11-8-2008 से लागू)
- यह अवकाश कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। वह सक्षम प्राधिकारी है।

PATERNITY LEAVE:

- यह अवकाश दिनांक 6 दिसम्बर 2004 से देय किया गया है।
- यह अवकाश सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक पुरूष सरकारी कर्मचारी को 2 से कम जीवित बच्चों के होने पर अपनी सम्पूर्ण सेवा अवधि में पत्नि की गर्भावस्था/प्रसव के दौरान एवं बाद में देखभाल करने हेतु यानि प्रसव से 15 दिन पूर्व एवं प्रसव के 3 माह के भीतर 15 दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत करेगा।
- यह कर्मचारी की सम्पूर्ण सेवा अवधि में 2 बार स्वीकृत किया जा सकता है।

MATERNITY LEAVE:

- गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह का अवकाश प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करने पर स्वीकृत किया जा सकता है।
- महिला कर्मचारी अवकाश वेतन पाने की हकदार है।
- ऐसी छुट्टी को अवकाश लेखे में से डेबिट नहीं किया जायेगा किन्तु सेवा पुस्तिका में ऐसी प्रविष्टि पृथक से की जायेगी।
- यह अवकाश अस्थायी महिला कर्मचारी को भी देय है।
- यह अवकाश अनुबन्धित महिला कर्मचारियों को भी देय है। वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ.1(16)वित्त/नियम/2007 दिनांक

PATERNITY LEAVE:

- इस अवकाश का निर्धारित अवधि में उपयोग नहीं करने पर यह लेप्स हो जाता है।
- इस अवकाश को अवकाश लेखों में शामिल नहीं किया जावेगा परन्तु इस अवकाश का सेवा पुस्तिका में इन्द्राज किया जाता हैं
- यह अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ भी लिया जा सकता है। नियम 104
- गर्भपात या मिसकैरेज के मामले में यह अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

MATERNITY LEAVE:

- यह अवकाश महिला परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी कर्मचारियों को नियम 122(A)(ii) के तहत देय है। वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ.1(6)वित्त/नियम/2011 दिनांक 15 फरवरी 2012 द्वारा नियम 103A नियम 122(A)(ii) के रूप में प्रतिस्थापित
- यह अवकाश अधूरे गर्भपात के मामले में नहीं मिलेगा।
- यह अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ भी लिया जा सकता है। नियम 104
- यह अवकाश 2 जीवित बच्चों से कम होने पर ही स्वीकृत किया जा सकता है।

PATERNITY LEAVE:

- यह अवकाश पुरूष परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को नियम 122(A)(iii) के अनुसार देय है। वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ.1(6)वित्त/नियम/2011 दिनांक 15 फरवरी 2012 द्वारा नियम 103A नियम 122(A)(iii) के रूप में प्रतिस्थापित
- इस अवकाश के दौरान सरकारी कर्मचारी को अवकाश पर जाने से ठीक पूर्व आहरित वेतन के समान अवकाश वेतन संदत्त किया जायेगा।

स्पेशल मेडिकल लीव

- राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के सदस्यों को क्षय रोग से पीड़ित होने पर सम्पूर्ण सेवा अवधि में 6 माह की अवधि तक विशेष चिकित्सा अवकाश निम्न शर्तों पर देय है:–
  - पुलिस अधीनस्थ सेवा के सदस्यों को निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों द्वारा गठित चिकित्सा मण्डलों द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर एक राजकीय अस्पताल/टी.बी.सेनिटोरियम में बाहरी रूप में चिकित्सा कराने पर देय है। नियम 93(1)(iii)

SPECIAL MEDICAL LEAVE:

- राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के सदस्यों को क्षय रोग से पीड़ित होने पर सम्पूर्ण सेवा अवधि में 6 माह की अवधि तक विशेष चिकित्सा अवकाश निम्न शर्तों पर देय है:–
  - राजस्थान सेवा नियम 91 व 93 के अर्न्तगत देय व बकाया अवकाशो का उपभोग पूर्णतया किया जा चुका हो

    नियम 93क(1)(i)

SPECIAL MEDICAL LEAVE:

- राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के सदस्यों को क्षय रोग से पीड़ित होने पर सम्पूर्ण सेवा अवधि में 6 माह की अवधि तक विशेष चिकित्सा अवकाश निम्न शर्तों पर देय है:–
  - विशेष चिकित्सा अवकाश राजस्थान सेवा नियम 91 व 95 के अर्न्तगत देय व बकाया अवकाशो का उपभोग के बाद किसी प्रकार के अवकाश के साथ या निरन्तरता में स्वीकृत किया जा सकता है।

    नियम 93क(2)
  - विशेष चिकित्सा अवकाश की अवधि का अवकाश वेतन उस वेतन के समान होगा जो उसे अवकाश प्रारम्भ होने के पूर्व के दिन देय हो। नियम 93क(3)

SPECIAL MEDICAL LEAVE:

- राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के सदस्यों को क्षय रोग से पीड़ित होने पर सम्पूर्ण सेवा अवधि में 6 माह की अवधि तक विशेष चिकित्सा अवकाश निम्न शर्तों पर देय है:–
  - विशेष चिकित्सा अवकाश एक कर्मचारी को किसी राजकीय अस्पताल/टी.बी.सेनिटोरियम या सरकार द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2008 के अर्न्तगत मान्यताप्राप्त अस्पताल या सेनिटोरियम में भर्ती होकर रोग निदान कराने पर

    नियम 93क(1)(ii)

LEAVE NOT DUE:

- नियमित नियुक्ति के बाद 3 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर रूपान्तरित अवकाश व अदेय अवकाश स्वीकृत किये जा सकेंगें। नियम 93(4)
- सेवा में रहते हुऐ कर्मचारी की मृत्यु होने पर, राजस्थान सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम,1996 के नियम 35 के अर्न्तगत असमर्थता के आधार पर सेवानिवृत्त करने या नियम 53 के अर्न्तगत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाता है तो उससे अवकाश वेतन संबंधी वसूली, यदि बनती हो तो नहीं की जावेगी। अन्य समस्त मामलों में जैसे त्यागपत्र, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, निष्कासन या बर्खास्तगी आदि में अवकाश वेतन की वसूली होगी। नियम 93(5)

टर्मिनल लीव

TERMINAL LEAVE:

- निम्नलिखित अस्थाई राज्य कर्मचारियों को उनकी सेवा समाप्ति पर उनके उपार्जित अवकाश लेखों में देय उपार्जित अवकाशों की सीमा तक (अधिकतम 300 दिन) सेवा समाप्ति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है चाहे ऐसा अवकाश कर्मचारी ने औपचारिक रूप से नहीं माँगा हो या राज्य हित में अस्वीकृत नहीं किया गया हो:–
  - एक अस्थाई राज्य कर्मचारी जिसकी सेवाएं संस्थापन में कटौती या पद की समाप्ति के कारण उसके अधिवार्षिकी आयु के होने से पूर्व ही समाप्त की जा रही हो। नियम 94(1)क

TERMINAL LEAVE:

- नियम 94(1) व (2) के प्रावधानों के अनुसार सेवा समाप्ति अवकाश निम्नांकित व्यक्तियों को स्वीकार्य/देय नहीं होगा:–
  - ऐसे राज्य कर्मचारी तथा शिक्षार्थी जो राज्य सेवा में पूरे समय के लिये नियुक्त नहीं है,
  - ऐसे कर्मचारी जिन्हें सेवा से बर्खास्त या निष्कासित कर दिया गया हो, तथा
  - ऐसे अस्थायी कर्मचारी जिनकी सेवाएं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग लेने के कारण समाप्त की जाती है।

नियम 94(4)(अ)(ब)व(स).

TERMINAL LEAVE:

- निम्नलिखित अस्थाई राज्य कर्मचारियों को उनकी सेवा समाप्ति पर उनके उपार्जित अवकाश लेखों में देय उपार्जित अवकाशों की सीमा तक (अधिकतम 300 दिन) सेवा समाप्ति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है चाहे ऐसा अवकाश कर्मचारी ने औपचारिक रूप से नहीं माँगा हो या राज्य हित में अस्वीकृत नहीं किया गया हो:–
  - एक अस्थायी राज्य कर्मचारी जिसकी सेवाएं संस्थापन में कटौती या पद की समाप्ति के कारण उसके अधिवार्षिकी आयु के होने से पूर्व ही समाप्त की जा रही हो।

TERMINAL LEAVE:

सेवा में व्यवधान के बिना स्थायी रूप से नियुक्त अस्थायी कर्मचारी को अवकाश:

- एक राज्य कर्मचारी जो अस्थायी सेवा में हो जब सेवा में व्यवधान के बिना ही यदि किसी स्थायी पद पर नियुक्त कर दिया जाता है तो उसको पूर्व की सेवा में अर्जित अवकाशों को जो उसके सेवा अभिलेख में जमा है, और जो उसे पूर्व में ही स्थायी सेवा में होने पर प्राप्त होते, के अन्तर का आगे का जमा किया जावेगा। इस नियम के अनुसार अवकाश की अवधि को सेवा में व्यवधान नहीं माना जाता हैं।

TERMINAL LEAVE:

- ऐसा कर्मचारी जो उस पद की पूर्ण योग्यता रखता हो तथा जिसे एक योग्य व्यक्ति के उपलब्ध हो जाने के कारण पद से हटाया जा रहा हो। नियम 94(1)घ
- ऐसा अस्थाई राज्य कर्मचारी जिसकी सेवाएं प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रख कर समाप्त की जा रही हो और जिसके विरुद्ध औपचारिक विभागीय कार्यवाही करना उचित नहीं समझा गया हो। नियम 94(1)ङ.

TERMINAL LEAVE:

- एक अस्थाई राज्य कर्मचारी जो अपने स्वयं के विवेक के आधार पर सेवा से त्यागपत्र देता हो, को ऐसा अवकाश स्वीकृत करते समय प्राधिकारी अपने विवेक पर सेवा समाप्ति अवकाश स्वीकृत कर सकता है जो कर्मचारी के उपार्जित अवकाश के खाते में देय अवकाशों की सीमा से आधा होगा तथा जो किसी भी स्थिति में 120 दिन से अधिक का नहीं होगा।
- नियम 94(1) व (2) के अनुसार देय सेवा समाप्ति अवकाश वेतन एक मुश्त तथा एक समय में उसी प्रकार से चुकाया जायेगा जैसाकि नियम 94बी(3) व (4) में बताया गया है। 94(2)

एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव

EXTRA-ORDINARY LEAVE:

- अस्थायी महिला राज्य कर्मचारी जो सुरक्षा कर्मियों की पत्नियां है, को एक समय में 6 माह तक का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। नियम 96(b)
- कर्मचारी को असाधारण अवकाश लेने पर किसी प्रकार का अवकाश वेतन प्राप्त नहीं होता। नियम 97(4)
- रूपान्तरित अवकाश पर कर्मचारी अवकाश वेतन का हकदार उसी तरह होता है जैसा कि वह उपार्जित अवकाश पर होता है। नियम 97(3)

Gurukulrajasthan

EXTRA-ORDINARY LEAVE:

- एक अस्थायी राज्य कर्मचारी जिसकी नियुक्ति निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत हुई है तथा जिसने नियमित सेवा के 3 वर्ष पूर्ण कर लिये है, उसे असाधारण अवकाश स्थायी कर्मचारी की भाँति ही स्वीकृत किया जा सकता है। वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ.1(5)वित्त/नियम/98 दिनांक 26-2-2002

SPECIAL DISABILITY LEAVE:

- एक राज्य कर्मचारी जिसे अपने कर्तव्य की उचित पालना करते हुऐ या अपनी राजकीय स्थिति के कारण चोट लगी हो या चोट पहुंचायी गई हो और जिसके कारण वह कर्मचारी असमर्थ हो गया हो, उसे विशेष असमर्थता अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। नियम 99(i)
- यह अवकाश चिकित्सक मण्डल के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार किया जायेगा परन्तु किसी भी दशा में 24 माह से अधिक का स्वीकृत नहीं किया जायेगा। नियम 99(iv)
- ऐसा अवकाश किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ मिला कर लिया जा सकता है। नियम 99(iv)

Gurukulrajasthan

SPECIAL DISABILITY LEAVE:

- इस अवकाश की अवधि पेंशन योग्य सेवा की गणना में जोड़ी जायेगी। नियम 99(vi)
- ऐसे अवकाश के दौरान उच्च सेवा में नियुक्त कर्मचारियों को प्रथम 120 दिन का पूर्ण वेतन एवं चतुर्थ सेवा कर्मचारियों को प्रथम 60 दिन का पूर्ण वेतन देय होगा।
- ऐसे अवकाश के शेष समय के लिये नियम 97(2) के अनुसार अर्द्ध वेतन के समान अवकाश वेतन देय होगा।

EXTRA-ORDINARY LEAVE:

- अस्थायी राज्य कर्मचारी को एक समय में 3 माह या 18 माह तक का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। नियम 96(b)
- 3 माह से अधिक का लम्बे समय का असाधारण अवकाश वित्त विभाग की सहमति से कर्मचारी को लम्बी बीमारी या अध्ययन के पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु स्वीकृत किया जा सकता है।
- स्थायी कर्मचारी को 24 माह तक की अवधि के लिये (अध्ययन अवकाश सहित) स्वीकृत किया जा सकता है।
- 24 माह से अधिक की अवधि का अवकाश वित्त विभाग की पूर्व अनुमति से ही स्वीकृत किया जा सकता है।

Gurukulrajasthan

- निम्नांकित विशेष परिस्थितियों में एक राज्य कर्मचारी को असाधारण अवकाश दिया जा सकता है:-
  - जब नियमों के अर्न्तगत उसे कोई अन्य अवकाश देय/स्वीकार्य न हो।
  - जब अन्य अवकाश बकाया हो, परन्तु कर्मचारी स्वयं असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के लिये आवेदन करता है। नियम 96(a)(i)(ii)

विभिन्न अबकाश नियम

- अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों के एवज में (अधिकतम 300 दिन) नकद भुगतान एक मुश्त एवं एक ही समय, सेवानिवृत्ति पर चुकाया जायेगा। नियम 91ख(2)
- कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष यह अवकाश अनुमत करने व ऐसा नकद भुगतान करने के लिये सक्षम प्राधिकारी होंगें। नियम 91ख(5)
- यह लाभ उन्हें भी देय है जो सेवानिवृत्ति आयु के बाद सेवा में अभिवृद्धि करके आगे रखे जाते है। नियम 91ख(6)
- नकद भुगतान के आदेश सेवानिवृत्ति की तारीख से 1 माह पूर्व जारी किये जा सकेंगें लेकिन नकद भुगतान वास्तविक सेवानिवृत्ति के प्रभावी होने के बाद ही किया जायेगा।

CASH PAYMENT IN LIEU OF

- सेवा में रहते हुऐ सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की दशा में मृत्यु होने की तारीख को देय अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों के एवज में (अधिकतम 300 दिन) नकद भुगतान नियम नियम 91ख के अनुसार देय है।
- सेवानिवृत्ति के समय अनुपयोजित उपार्जित अवकाश के बकाया अवशेष में दिनों के फ्रेक्शन में उपार्जित अवकाश रह जावे तो आधे से नीचे एक दिन से कम का फ्रेक्शन नहीं माना जावेगा। आधे या अधिक के फ्रेक्शन को एक दिन माना जावेगा। No. F.1(12)FD/Rules/2005 dated 17-11-2014
- परिवार पेंशन स्वीकृत करने में सक्षम प्राधिकारी इस नियम के अधीन संदेय एक मुश्त राशि स्वीकृत करेगा। नियम 91ख(4)

COMMUTED LEAVE:

- स्थायी सेवा के एक राज्य कर्मचारी को प्राधिकृत चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर अर्द्ध वेतन अवकाशों की आधी संख्या तक रूपान्तरित अवकाश निम्नलिखित शर्तों के आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है। नियम 93(2) :–
  - जब किसी कर्मचारी को रूपान्तरित अवकाश स्वीकृत किये जावे तो उसके एवज में दुगुनी संख्या में अर्द्ध वेतन अवकाश लेखों से घटा दिये जावें।
  - इस अवकाश में उपार्जित अवकाश के समान अवकाश वेतन देय है। अवकाशों की समाप्ति पर ऐसे कर्मचारी के सेवा पर वापस उपस्थित होने की पूर्ण सम्भावनाएं है।

COMMUTED LEAVE:

- एक समय में देय अर्द्ध वेतन अवकाशों में से 180 दिन तक के अर्द्ध वेतन अवकाशों को प्राधिकृत चिकित्सक के प्रमाण पत्र के बिना ऐसे रूपान्तरित अवकाशों के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है जहाँ ऐसा अवकाश किसी अनुमोदित पाठ्यक्रम के लिये चाहा जाये तथा अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी ऐसे पाठ्यक्रम/अध्ययन सार्वजनिक हित में प्रमाणित कर दें। नियम 93(2)
- इस अवकाश में उपार्जित अवकाश के समान अवकाश वेतन देय होगा। नियम 97
- सेवानिवृत्ति से पूर्व के अवकाशों के मामलों में छोड़कर स्थायी राज्य कर्मचारी को अदेय अवकाश (Leave Not Due) निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकृत किया जा सकता है:–
  - अवकाश स्वीकृतकर्ता इस बात से सन्तुष्ट हो कि ऐसा कर्मचारी अदेय अवकाशों से (अवकाशों की समाप्ति के बाद सेवा पर वापिस) उपस्थित हो जायेगा। नियम 93(3)क
  - अदेय अवकाशों की संख्या उस अनुमोदित संख्या से अधिक नहीं होगी जो एक कर्मचारी ऐसे अवकाशों से वापिस आकर उतनी ही संख्या में अर्द्ध वेतन अवकाश अर्जित कर सकें। नियम 93(3)ख

LEAVE NOT DUE:

- सम्पूर्ण सेवा काल में अदेय अवकाश निम्न प्रकार से स्वीकृत किये जायेगें:–
  - अधिकतम अदेय अवकाश 360 दिन
  - एक समय में 90 दिन
  - चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 180 दिन
  - शेष अन्य आधार पर नियम 93(3)ग
- अदेय अवकाश स्वीकृत किये जाने पर वह कर्मचारी के अर्द्ध वेतन अवकाशों के खाते में नामे लिखा जायेगा तथा उसका समायोजन ऐसे कर्मचारी द्वारा भविष्य में अर्जित किये जाने वाले अर्द्ध वेतन अवकाशों से किया जायेगा। नियम 93(3)घ

HALF PAY LEAVE:

- एक राज्य कर्मचारी को नियुक्ति तिथि से एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 20 दिन का अर्द्ध वेतन अवकाश अर्जित होगा। नियम 93(1)(ए)
- यह अवकाश आनुपातिक देय नहीं है।
- यानि किसी कर्मचारी की नियुक्ति तारीख 31–3–1978 व सेवानिवृत्ति 31–12–2013 को है तो उसे अर्द्ध वेतन अवकाश केवल 31–3–2013 तक ही देय होंगें। 1–4–2013 से 31–12–2013 तक कोई अवकाश देय नही होंगें।

HALF PAY LEAVE:

- उपरोक्त नियम 93(1)(ए) के अनुसार देय अर्द्ध वेतन अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र या निजी कारण के आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है।

LEAVE TO PROBATIONERS & APPRENTICE

Egurukulrajasthan

LEAVE TO PROBATIONERS & APPRENTICE :

- परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को परीवीक्षा की अवधि के दौरान कोई अवकाश अर्जित नहीं होगा।
- महिला परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को नियम 103 व 104 के अनुसार प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
- पुरूष परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को नियम 103क के अनुसार पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

नियम 122(A)(i),(ii),(iii)&(iv)

CHILD ADOPTION LEAVE

Egurukulrajasthan

CHILD ADOPTION LEAVE:

- यह अवकाश दिनांक 7 दिसम्बर 2011 से देय किया गया है। वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ.1(43)वित्त/ग्रुप–2/83 दिनांक 7 दिसम्बर 2011 द्वारा नियम 103(B) के रूप में प्रतिस्थापित
- 2 से कम जीवित संतान होने पर एक महिला राज्य कर्मचारी को 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की विधिमान्य दत्तककरण करने की दिनांक से 180 दिन की अवधि का बच्चा दत्तककरण अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।
- यह अवकाश, अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।

नियम 103 (B)(1)

STUDY LEAVE:

- कर्मचारी को अध्ययन का पाठ्यक्रम शुल्क आदि स्वयं को जमा कराना होगा या वहन करना होगा।
- केवल अपवाद स्वरूप मामलों में ही राज्य सरकार इस प्रकार का प्रस्ताव स्वीकार करने को सहमत होगी कि अमुक शुल्क सरकार द्वारा दिया जाना चाहिये। नियम 119
- कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त किसी भी ऐसी स्कॉलरशिप (छात्रवृत्ति)/स्टाइपेण्ड प्राप्त करने तथा उसे अपने पास रखने की स्वीकृति दी जा सकती हैं। नियम 119 below Government of Rajasthan's decision

Egurukulrajasthan

STUDY LEAVE:

- कर्मचारी को अध्ययन के उपरान्त किसी अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूरा करने पर एक प्रमाण पत्र सरकार को प्रस्तुत करना होगा। नियम 120
- कर्मचारी को एक बन्धक पत्र खण्ड 2 के परिशिष्ट 18 के अनुसार भर कर निम्नानुसार देना होगाः–

अध्ययन अवकाश की अवधि	बंधक पत्र की अवधि
3 माह	1 वर्ष
6 माह	2 वर्ष
1 वर्ष	2 वर्ष
2 वर्ष से अधिक	5 वर्ष

STUDY LEAVE: Admissibility

- यह एक बार में 12 माह से अधिक स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा सम्पूर्ण सेवा काल में 24 माह के लिये स्वीकृत किया जा सकता है जिसे राज्य कर्मचारी एक अवसर या या एक से अधिक अवसरों पर उपभोग कर सकता हैं।
- चिकित्सा अधिकारियों को पी.जी. करने के लिये 3 वर्ष का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता हैं।
- इस अवकाश का उपभोग अन्य प्रकार के अवकाश, (असाधारण अवकाश को छोडकर) के साथ किया जावे तो राज्य कर्मचारी की नियमित कर्तव्यों से अनुपस्थिति 28 माह से अधिक की स्वीकृत नहीं की जायेगी। नियम 112(ii)

Egurukulrajasthan

STUDY LEAVE:

- इस अवकाश की अवधि में एक राज्य कर्मचारी को अर्द्ध वेतन के समान अवकाश वेतन देय है।
- अध्ययन अवकाश पदोन्नति या पेंशन के लिये सेवा अवधि के रूप में समझा जायेगा।
- इसका प्रभाव कर्मचारी के नामे अवशेष किसी भी अवकाश पर नहीं पडेगा। नियम 121
- यह अर्द्ध वेतन पर अतिरिक्त अवकाश होता है तथा ऐसे अवकाश काल में कर्मचारी को अवकाश वेतन का भुगतान राजस्थान सेवा नियम 97(2) के अनुसार देय है। नियम 112(2)

STUDY LEAVE: Admissibility

- अध्ययन अवकाश ऐसे अस्थायी सेवा के कर्मचारी को भी निम्न शर्तो पर स्वीकृत किया जा सकता है:–
  - उसकी नियुक्ति नियमित आधार पर हुई हो
  - उसने 3 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण की ली हो
  - उसकी प्रारम्भिक नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग की अनुशंसा से की गयी हो
  - नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 में दिये गये परन्तुक के तहत बनाये गये सेवा नियम/उप नियम के अनुसार नियुक्ति की हो।
  - जहां ऐसे नियम नहीं बने हो वहां नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी ने वह नियुक्ति शैक्षणिक अर्हता, अनुभव आदि विहित करने के सक्षम आदेशों के अनुसार की हो। नियम 110(2)

Egurukulrajasthan

STUDY LEAVE: Admissibility

- ऐसे अस्थायी सेवा के कर्मचारी ने यदि:–
  - 3 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण की ली हो
  - लेकिन नियम 110(2) के प्रावधान पूर्ण नहीं करता हो,

उसे जनहित में प्रमाणित उच्च अध्ययन के प्रयोजनार्थ 2 वर्ष का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियम 96(ख) के प्रावधानों के शिथिलीकरण में स्वीकृत किया जा सकता है।

नियम 110(3)